



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 79-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 10, 2019 (VAISAKHA 20, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 मई, 2019

संख्या 60/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,

- (i) सारणी में, खाना (5) के नीचे, क्रम संख्या (3) के सामने, मद (iड) और (iच) में, "10 मई" अंको और शब्द, जहां कहीं भी आए, के स्थान पर "20 मई" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (ii) अनुबंध IV में, "10 मई" अंक और शब्द, जहां कहीं भी आए, के स्थान पर "20 मई" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 10th May, 2019

No. 60 /GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1),(3) and (4) of Section 9, Sub-section (1) of Section 11, Sub-section (5) of Section 15, Sub-section (1) of Section 16 and Section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017,—

- (i) in the Table, under column (5), against serial number 3, in items (ie) and (if), for the figures and letters “10th”, wherever occurring, the figures and letters “20th” shall be substituted; and
- (ii) in Annexure IV, for the figures and letters “10th”, wherever occurring, the figures and letters “20th” shall be substituted.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.